राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3300/2025

सुरेश कुमार चौहान

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नितिन सिन सिनवार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान कार्यकारी अधिकारी के पद पर देशनोक, बीकानेर में कार्यरत हैं। अपीलार्थी को विभागीय आदेश दिनांक 18.11.2022 के द्वारा नगरपालिका राजलदेसर, चुरू से निलम्बित कर दिया गया था। तत्पश्चात अपीलार्थी ने अपनी उपस्थिति विभागीय आदेशों की पालना में आदेश प्राप्ति के पश्चात दिनांक 28.06.2024 तक विभाग के निर्देशानुसार दी। उपरोक्त कालावधि दिनांक 18.11.2022 से आज दिनांक तक अकारण ही विभाग द्वारा अपीलार्थी को अपने पूर्ण वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। यह अपीलार्थी को दण्ड देने के समान प्रतीत हो रहा है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में विभाग को कई बार अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, परंतु विभाग द्वारा आज दिनांक तक अपीलार्थी के न तो पदोन्नति आदेश जारी किया गयाा है और न ही वर्ष 2022,23 एवं 2024 के वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश जारी किये जा रहे है। अपीलार्थी ने इस अपील में आदेश दिनांक 09.06.2025, 09.07.2024,

13.05.2024 एवं 19.12.2023 की वरिष्ठता सूचियों को चुनाती दी है, जिनके तहत संबंधित व्यक्तियों को अप्रैल, 2022 से राजस्व अधिकारी–। के समान पर पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जबकि अपीलार्थी को उसके निलम्बन के कारण उस पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि कार्यवाही शुरू करने में देरी हुई और अनुशासनात्मक आरोप पत्र भी जारी नहीं किया गया।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष